

कार्यालय संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान

पोलीपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर - 482008 (म.प्र.)

दूरभाष : 0761-2665540, फ़ैक्स : 0761-2661304

email: mpsfri@mp.gov.in, mpsfri@gmail.com Website : www.mpsfri.org

No/ NIT/SFRI/Store/Pro_1/ 2270

Jabalpur, Dated 04/09/2024


ई-निविदा Website : <https:mptenders.gov.in>

वाहन मासिक किराये पर लेने हेतु (Hiring of Vehicle for Monthly)

संस्थान को वाहन मासिक किराये पर प्रदाय हेतु ई-निविदा <https://mptenders.gov.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र <https://mptenders.gov.in> वेबसाईट पर दिनांक 06.09.2024 से उपलब्ध होगा। निविदा प्रपत्र ऑनलाईन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा केवल ऑनलाईन ही स्वीकार की जावेगी, अन्य माध्यम से प्रस्तुत निविदा अमान्य रहेंगी। ई-निविदा हेतु विवरण निम्नानुसार है:-

Tender Fee in Rs.	:	1000/-
EMD in Rs.	:	15,000/-
Published Date	:	06/09/2024 15:00hrs.
Document Download / Sale Start Date	:	06/09/2024 15:00hrs.
Bid Sumission Start Date	:	06/09/2024 15:00hrs.
Pre Bid Meeting	:	13/09/2024 11:00hrs.
Document Download/ Sale End Date	:	27/09/2024 15:00hrs.
Bid Sumission End Date	:	27/09/2024 15:00hrs.
Bid Opening date	:	30/09/2024 15:30hrs

कृपया निविदाकार निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व सभी नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढकर भरें।



संचालक

राज्य वन अनुसंधान संस्थान
जबलपुर (म.प्र.)

निविदा प्रपत्र (सामान्य विवरण)

1. कार्य का नाम जिसके लिए निविदा दी जा रही है
2. निविदाकार कंपनी/फर्म का नाम
3. निविदाकार का पूरा पता
- दूरभाष नं./मोबाईल नं.
- ईमेल:
4. कंपनी/फर्म/निदेशक का नाम
5. (i) वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन क्रमांक (GSTIN)
- (ii) आयकर विभाग का PAN क्रमांक
6. ऑनलाइन जमा की गई प्रतिभूति (EMD) राशि का विवरण
1. बैंक का नाम
2. शाखा का नाम/IFSC कोड
3. बैंक ड्राफ्ट क्रमांक
4. राशि अंको में
5. राशि शब्दों में

घोषणा पत्र

एतद द्वारा मैं(निविदाकार का नाम)
पुत्र.....आयु.....वर्ष.....निवासी.....

यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है उस कार्य से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें (Tender Document) ध्यान पूर्वक पढ़ ली गई है एवं सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

निविदाकार का नाम :

पूरा पता :

मो./फोन नं.

दिनांक :
स्थान

कार्यालय संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान
पोलीपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर – 482008 (म.प्र.)

निविदा प्रपत्र भरने एवं प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देश


- (1) वाहन मासिक किराये पर प्रदाय हेतु निविदाकार के पास में स्वयं के स्वामित्व की ट्रैवल्स एजेन्सी/मालिकाना फर्म होना चाहिये।
- (2) निविदाकार द्वारा विगत 03 वर्षों में शासकीय संस्थाओं में दी गई सेवाओं की जानकारी संलग्न करें।
- (3) निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व मानक (Specification) का अच्छी तरह से अध्ययन करें यदि कोई कार्य समझ में नहीं आ रहा है तो संस्थान में आकर संबंधित अधिकारी से चर्चा करें।
- (4) सफल निविदाकार की निविदा की स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह के अंदर संस्थान के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा। निर्धारित समयावधि में करारनामा निष्पादित नहीं करने पर प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए निविदाकार को संस्थान की काली सूची में तीन वर्षों के लिए दर्ज किया जावेगा। यह अनुबंध निविदा की स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष के लिए होगा। निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र में प्रस्तावित प्रदाय दरों पर किराये के वाहन प्रदाय करने हेतु बाध्य होंगे।
- (5) निविदा प्रपत्र के साथ ऑनलाइन जमा की गई प्रतिभूति (EMD) राशि रु. 15,000/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक की छायाप्रति लगाना आवश्यक है। जो कि संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के नाम से देय हो।
- (6) कृपया यह सुनिश्चित करें कि निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि तथा समय तक <https://mptenders.gov.in> पर Upload हो जायें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्रस्तुत की गई निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
- (7) संचालक को किसी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (8) निविदाकार निविदा निम्नानुसार ऑनलाईन <https://mptenders.gov.in> पर जमा करेंगे।

Envelope A – निविदाकार को निविदा के साथ निम्नलिखित अभिलेख स्वयं हस्ताक्षरित कर संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

- (1) आनलाईन जमा की गई प्रतिभूति राशि (EMD) का छायाप्रति
- (2) वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन क्रमांक (GSTIN)
- (3) आयकर विभाग का PAN की छायाप्रति
- (4) निविदा नियम एवं शर्तें (Annexure-1)
- (5) Specification (Annexure-2)
- (6) Bidders Agreement Form (करारनामा) (Annexure-3)
- (7) निविदाकार द्वारा विगत 03 वर्षों में शासकीय संस्थाओं में दी गई सेवाओं की जानकारी
- (8) Declaration regarding Black Listing/Non-Black Listing Form (Annexure-4)

Envelope B – BOQ—निविदाकार द्वारा किराये के वाहनों हेतु प्रस्तावित दरें ।

- (9) (i) सर्वप्रथम **Envelope A** निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोला जावेगा एवं संलग्न अभिलेखों का मूल्यांकन किया जावेगा। यदि **Envelope A** में आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं, ऐसी स्थिति में **Envelope B** नहीं खोला जावेगा। तत्पश्चात निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपयुक्त पाये निविदाकारों के **Envelope B (BOQ)** खोला जावेगा।
- (ii) प्राप्त निविदाओं में से सामान्यतः न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकृत की जावेगी। फिर भी निविदा को मान्य/अमान्य करने का पूरा अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा। प्रस्तुत की जाने वाली निविदाओं में उपरोक्त शर्तों से भिन्न कोई शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- (8) इस सूचना से संबंधित कार्यों से उत्पन्न मतभेद/विवाद जबलपुर स्थित सक्षम न्यायालय में ही मान्य होगा।



संचालक

राज्य वन अनुसंधान संस्थान
जबलपुर (म.प्र.)

वाहन मासिक किराये पर प्रदाय हेतु नियम एवं शर्तें

1. निविदा मे प्रस्तावित वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र, एवं बीमा की सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ लगाया जाना आवश्यक है।
2. वाहन चालक की व्यवस्था निविदाकार, जिसे आगे प्रथम पक्ष लिखा जावेगा, द्वारा किया जावेगा। वाहन चालक के पास फोर व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य व्यय प्रथम पक्ष द्वारा वहन किये जायेंगे।
3. प्रथम पक्ष का वाहन चालक, बीमा, रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि कागजात हमेशा वाहन में रखेगा। वाहन से संबंधित समस्त कर के भुगतान का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
4. वाहन के स्वामित्व आदि में किसी प्रकार के विवाद का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
5. प्रस्ताव मान्य होने पर वाहन प्रतिमाह बिना किसी अवकाश के प्रतिदिन वाहन चालक सहित विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
6. वाहन डीजल वाहन होना चाहिए, जिसका **मॉडल 2020** से वर्तमान तक मान्य होगा।
7. किराये के वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन, वाहन के व्यावसायिक उपयोग हेतु शासन के नियमानुसार समस्त लायसेंस/प्रमाण पत्र प्राप्त करने व रोड टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
8. वाहन की बैटरी अच्छी हालत में एवं माईलोमीटर सदैव चालू हालत में होना अनिवार्य है।
9. डीजल, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क आदि कार्यालय संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर जिसे आगे द्वितीय पक्ष लिखा जावेगा द्वारा वहन किया जावेगा।
10. दौरे पर वाहन चालक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी। वेतन, यात्रा भत्ता आदि समस्त भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा ही किया जावेगा।
11. आवश्यकतानुसार वाहनों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है।
12. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की समस्त प्रकार की मरम्मत, सुधार कार्य, टायर-ट्यूब बैटरी को तत्काल बदलने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
13. किराये पर लिए गए वाहन की सेवाएँ संतोषजनक नहीं होने पर किसी भी समय वाहन कार्य से पृथक करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।
14. वाहन चालक के पास ड्राइविंग लायसेंस होना अनिवार्य हैं।
15. वाहन की लॉग बुक में प्रतिदिन मीटर रीडिंग आदि का विवरण भरने का उत्तरदायित्व वाहन चालक का होगा। संबंधित अधिकारी से हस्ताक्षर कराने का भी उत्तरदायित्व वाहन चालक का होगा। वाहन की लॉगबुक के प्रमाणीकरण के आधार पर ही वाहन के देयकों का भुगतान किया जावेगा।
16. किराये का भुगतान कार्यालय द्वारा प्रतिमाह नियमानुसार संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
17. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। टायर ट्यूब, बेट्री सदैव अच्छी हालत में होना चाहिए। माईलोमीटर चालू हालत में होना चाहिए।
18. यह निविदा दरें स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगी, सफल निविदाकार एवं संस्थान दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर समान दरों पर आगामी एक वर्ष के लिये अवधि बढ़ाई जा सकती है।

19. सफल निविदाकार को निष्पादन राशि (Performance Security) रु 15,000/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के नाम से देय करारनामों के साथ जमा करना होगा।
20. अनुबन्ध अवधि में यदि निविदाकार वाहन उपलब्ध नहीं कराता है तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अन्य स्रोत से वाहन किराये पर लेता है तो अन्तर की राशि निविदाकार के धरोहर राशि से वसूली योग्य होगी।
21. वाहन मालिक/ड्राइवर को वाहन कार्यालय के संबंधित अधिकारी के निवास पर ही रखना होगा। इस हेतु प्रतिदिन वाहन चालक द्वारा वाहन की चाबी संबंधित अधिकारी को वाहन छोड़ने के पूर्व सौंपनी होगी।
22. वाहन चालक 12 घंटे के लिये कार्य पर उपलब्ध होगा। इसकी व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। वाहन चालक की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी।
23. वाहन चालक की उपस्थिति एवं वाहन के रख-रखाव की जिम्मेदार प्रथम पक्ष की होगी।
24. वाहन की दुर्घटना तोड़फोड़ एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति आदि के लिये द्वितीय पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा।
25. निविदाकार द्वारा एक ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप मोबाइल नम्बर निविदा में लेख किया जावेगा जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सके।
26. जिस दिनांक को वाहन खराब होने के कारण चालन में नहीं होगा, उस दिन का किराया देय योग्य नहीं होगा। वाहन की खराब होने की स्थिति में वाहन मालिक को उसी मेक का अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन उपलब्ध न कराने की दशा में द्वितीय पक्ष यदि अन्य वाहन किराये पर लेता है तो किराये के अन्तर की राशि वाहन स्वामी से वसूल होगी।
27. समय पर वाहन उपलब्ध नहीं होने पर अथवा वाहन चालक के संतोषजनक व्यवहार न होने पर समानुपात में भुगतान में कटौती की जावेगी।
28. वाहन चालक को समय का पाबंद होना चाहिए। वाहन चालते समय शराब का सेवन चालक द्वारा नहीं किया जावेगा। चालक को व्यवहार कुशल होना चाहिए।
29. प्रवास के दौरान वाहन में यात्रा संबंधित कोई असुविधा होने पर मालिक अपनी व्यवस्था से गंतव्य स्थान तक स्वयं के व्यय से पहुँचाने एवं लाने हेतु उत्तरदायी रहेगा।
30. वाहन में किसी प्रकार की दुर्घटना होने अथवा यातायात या अन्य नियमों का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन चालक एवं वाहन मालिक की होगी। वाहन से दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा। यदि किसी प्रकार की घटना में किसी अधिकारी/कर्मचारी को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है तो उसका सम्पूर्ण व्यय प्रथम पक्ष वहन करेगा।
31. वाहन में किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री का परिवहन नहीं किया जावेगा। वाहन में किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर वाहन चालक एवं वाहन स्वामी का उत्तरदायित्व होगा।
32. किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
33. जब भी वाहन की आवश्यकता होगी मासिक आधार पर प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा।
34. निविदा में प्रस्तावित दरों में समस्त कर शामिल रहेगा।
35. बिना कोई कारण दर्शाये निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
36. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रथम एवं द्वितीय बार में क्रमशः रु. 1000/- तथा 2000/- अर्धदण्ड के रूप में वसूला जावेगा एवं तीसरी बार शर्तों का उल्लंघन करने पर समस्त प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं निविदा की शेष अवधि के लिए किसी अन्य फर्म से कार्य कराने के लिए संस्थान स्वतंत्र होगा।


संचालक


राज्य वन अनुसंधान संस्थान,
जबलपुर (म.प्र.)

(Annexure-2)

वाहन मासिक किराये पर लिये जाने वाले की सूची (Specification)

अनु.	मासिक किराये पर लिये जाने वाले वाहनों का विवरण	यूनिट
	वाहन का मॉडल वर्ष 2020 या उसके बाद का होना चाहिए।	
1	महिन्द्रा स्कार्पियो वाहन – ए.सी.	Each
2	महिन्द्रा बुलेरो वाहन – ए.सी.	Each

- नोट :- 1. वाहन में डीजल भराने का उत्तरदायित्व संस्थान का होगा एवं टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क का भुगतान संस्थान द्वारा किया जावेगा।
2. वाहन का औसत 12 कि.मी. प्रति लीटर से कम नहीं होना चाहिए। इससे अधिक का एवरेज होने पर उसका उपभोग संस्थान द्वारा किया जावेगा।


संचालक

राज्य वन अनुसंधान संस्थान
जबलपुर (म.प्र.)

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

निविदाकार का नाम :

पूरा पता :

मो./फोन नं

दिनांक :

स्थान :

(ENVELOPE- A)

No/NIT/SFRI/Store/Pro_1/ 2270

Jabalpur, Dated : 4 /09/2024

1. I/We hereby declare that I/We have read and understood all the tender document along with terms and conditions of the No/NIT/SFRI/Store/Pro_1/ _____ dated _____ and agree to abide by the same.
2. I/We enclose herewith the details of
 - (1) आनलाईन जमा की गई प्रतिभूति राशि (EMD) का छायाप्रति
 - (2) वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन क्रमांक (GSTIN)
 - (3) आयकर विभाग का PAN की छायाप्रति
 - (4) निविदा नियम एवं शर्तें (Annexure-1)
 - (5) Specification (Annexure-2)
 - (6) Bidders Agreement Form (करारनामा) (Annexure-3)
 - (7) निविदाकार द्वारा विगत 03 वर्षों में शासकीय संस्थाओं में दी गई सेवाओं की जानकारी
 - (8) Declaration regarding Black Listing/Non-Black Listing From (Annexure-4)
3. In the event of my/our failure to abide by the conditions of this agreement and all the terms and conditions of the tender notice. I/We..... shall be liable to pay such penalty, as may be levied under the terms and conditions of the tender notice .

Signature

Full Name of the Tenderer.....

Complete Address

Mobile/Tel. No.

E-mail id :

Date


Place

Bidders Agreement Form (करारनामा)**मासिक वाहन किराये पर लेने हेतु अनुबंध**

..... (प्रथम पक्ष) व कार्यालय संचालक, राज्य
वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (द्वितीय पक्ष)।

1. वाहन चालक प्रथम पक्ष का रहेगा जिसके पास नियमानुसार फोर व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य व्यय प्रथम पक्ष द्वारा वहन किये जायेंगे।
2. प्रथम पक्ष का वाहन चालक, बीमा, रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि कागजात हमेशा वाहन में रखेगा।
3. वाहन के स्वामित्व आदि में किसी प्रकार के विवाद का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
4. वाहन में डीजल भराने का उत्तरदायित्व संस्थान का होगा एवं टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क का भुगतान संस्थान द्वारा किया जावेगा।
5. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय के वाहन के उपयोग में न्यूनतम दूरी का बंधन नहीं रहेगा।
6. वाहन की लॉग बुक में प्रतिदिन मीटर रीडिंग आदि का विवरण भरने का उत्तरदायित्व वाहन चालक का होगा तथा द्वितीय पक्ष के संबंधित अधिकारी से हस्ताक्षर कराने का भी उत्तरदायित्व वाहन चालक का होगा।
7. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। टायर ट्यूब, बेट्री, अच्छी हालत में होना चाहिए। माईलोमीटर हमेशा चालू हालत में होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
8. वाहन खराब होने की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन के ठीक होने का 2 घंटे तक इंतजार किया जायेगा, इससे अधिक समय लगने पर दूसरे वाहन की व्यवस्था की जायेगी एवं दूसरे वाहन को किये गये अतिरिक्त भुगतान की वसूली प्रथम पक्ष से की जावेगी।
9. अनुबंध समाप्ति हेतु किसी भी पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना दी जायेगी।
10. माह में दो बार वाहन रख-रखाव हेतु प्रथम पक्ष को सौंपा जा सकेगा।
11. वाहनों की संख्या में बजट की उपलब्धता के आधार पर बदलाव किया जा सकता है।
12. वाहन किराया माह की समाप्ति के पश्चात् अगले माह के प्रथम सप्ताह के अंदर भुगतान किया जा सकेगा।
13. वाहन चालक 12 घंटे के लिये कार्य पर उपलब्ध होगा। इस हेतु चालक की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। वाहन चालक के अवकाश पर होने की स्थिति में दूसरे वाहन चालक की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी।
14. किराये के जो वाहन होंगे परिवहन विभाग में टैक्सी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
15. वाहन चालक की उपस्थिति एवं वाहन के रख-रखाव की जिम्मेदार प्रथम पक्ष की होगी।
16. वाहन की लॉगबुक के प्रमाणीकरण के आधार पर ही वाहन के देयकों का भुगतान किया जावेगा।
17. प्रथम पक्ष की सेवार्यें संतोषजनक होने पर अनुबंध की अवधि दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर समान दरों पर आगामी एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है।
18. वाहन की दुर्घटना तोड़फोड़ एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति आदि के लिये द्वितीय पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा।
19. समय पर वाहन न उपलब्ध होने पर अथवा वाहन चालक के संतोषजनक व्यवहार न होने पर समानुपात में भुगतान में कटौती की जावेगी।

20. किराये पर लिये गये वाहन की समयावधि में वृद्धि एवं कटौती तथा वाहन सेवा निरस्त करने का समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को रहेगा।
21. चालक समय का पाबंद रहेगा। ड्यूटी के दौरान मदिरा का सेवन नहीं करेगा। वाहन चालक व्यवहारकुशल रहेगा।
22. सभी प्रकार के टैक्स, मोटर यान कर, बीमा आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा।
23. वाहन का औसत 12 कि.मी. प्रति लीटर से कम नहीं होना चाहिए। इससे अधिक का एवरेज होने पर उसका उपभोग संस्थान द्वारा किया जावेगा।
24. जरूरी नहीं की मासिक वाहन 12 माह के लिए लिया जाये। आवश्यकतानुसार वाहन मासिक आधार पर लिया जावेगा। जिसका समय-समय पर आदेश जारी किया जावेगा।
25. वाहन डीजल वाहन होना चाहिए, जिसका **मॉडल 2020** से वर्तमान तक मान्य होगा।
26. कार्यालय द्वारा वाहन प्रदाय आदेश जारी होने पर निविदाकार को निर्धारित शर्तों के अधीन वाहन उपलब्ध कराना होगा। यदि निविदाकार अनुबन्ध करने एवं वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।
27. सफल निविदाकार की निविदा की स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह के अंदर संस्थान के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा। निर्धारित समयावधि में करारनामा निष्पादित नहीं करने पर प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए निविदाकार को संस्थान की काली सूची में तीन वर्षों के लिए दर्ज किया जावेगा। एवं अन्य फर्म से संस्थान स्वीकृत दरों पर वाहन मासिक किराये पर लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा। अंतिम निर्णय संचालक का होगा।
28. वाहन मासिक किराये पर प्रदाय हेतु मुझे नियम एवं शर्तें मान्य हैं।


संचालक

राज्य वन अनुसंधान संस्थान
जबलपुर (म.प्र.)

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

निविदाकार का नाम :

पूरा पता :

मो./फोन नं

दिनांक :

स्थान :

DECLARATION

(Annexure-4)

**DECLARATION REGARDING BLACK LISTING/NON-BLACK LISTING FROM TAKING
PART IN GOVT. TENDER BY GOVT. DEPT**

I/We Proprietor /Partner(s) Director (s) of M/s.....
hereby declare that the firm/company namely M/s..... has not
been black listed of Debarred in the past by any other Government organization from taking part in
Government tenders.

Or

I /We Proprietor /Partner (s) Director (s) of M/s.....
hereby declare that the firm/company Namely M/s..... was
black listed or declare by any other Government Department from taking part in Government tenders for
a period of.....years w.e.f.The period is over on
.....and Now the firm/company is entitled to take part in Government tenders.

In case the above information found false I/We are fully aware that the tender/company contract
will be Rejected/Cancelled by Director, SFRI and EMD/SD shall be forfeited.

Signature

Full Name of the Tenderer.....

Complete Address

Mobile/Tel. No.

E-mail id :

Date

Place